न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 126/2013

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

—अपीलार्थी

बनाम

श्री सुमन कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति कुम्हार साकिन 1 जेडडब्ल्यूडी

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर, दिनांक 22.10.2005, प्र. सं. 16/2005
अनवान प्रा. पत्र सुमन पुत्र श्रीराम कुम्हार मिडपेच में भूमि आवंटन बाबत

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 06.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट को चक 1 जेडडब्ल्यूडी–ए की कुल 1.316 है0 भूमि ई.गा.न.प. क्षेत्र में भूमि आवंटन के नियम 1975 के नियम 14 के तहत मिडपेच में आवंटन किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना जांच किये एवं मनमाने रूप से विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट को आवंटन के समय उसके पास आवंटन से पूर्व कितनी भूमि है आवंटन में प्राप्त भूमि को जोड़कर सिलिंग सीमा से अधिक होती है या नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बिना जांच किये आवंटन किया गया है। इसके आलावा ई.गा.न.प. क्षेत्र भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत मिडपेच के आवंटन नियम के तहत सही जांच नहीं की गई। अपील ईलम से अन्दर मियाद है जिसे हेतु दफा –5 का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपील बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। रेस्पोडेण्ट के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। डिक्री जारी करने के उपरान्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच कर प्रश्गनत भूमि का आवंटन किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्नगत भूमि प्रश्नगत भूमि चक 1 जेडडब्ल्यू डी 'ए' की कुल 1.316 है0 भूमि राज0 उपनिवेशन अधिनियम अधिनियम (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय नियम 1975) के नियम 14 के अन्तर्गत मिड पेच में आवंटित की गई है। आवंटन से पूर्व रेस्पोडेण्ट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है अथवा नहीं इस संबंध में जांच नहीं की गई है। उक्त बिन्दू पर जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2005 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

जाता है किया जाता है कि सिंलिंग सीमा की जांच कर पुनः उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़